सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-1213/MP/24/2022-ESDW **दिनांक: 13.02.2023**

सेवा में,

श्री ऋषव गुप्ता,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
ज़िला देवास
कलेक्टर कार्यालय,
देवास
मध्य प्रदेश -455001,
ई-मेल: dmdewas@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण कोटे मे राशन दुकान आवेदन की ऑनलाइन तिथि को आरक्षण के अनुरूप करने के संबंध मे श्री दिलीप धंवारी, राष्ट्रीय आध्यक्ष, अनुसूचित जाति जन जाति उत्थान महासंघ (भारत), अयोध्या बस्ती हरिजन कॉलोनी, वार्ड नं. 10, तहसील-कन्नोद, जिला-देवास, मध्य प्रदेश-455332 का दिनांक 07/12/2022 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री दिलीप धंवारी से दिनांक 07.12.2022 में** एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

संलग्न यथोपरि.

(एच. आर.मीना)
अनुसंधान अधिकारी

जारी किया
ISSUED

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री दिलीप धंवारी,
राष्ट्रीय आध्यक्ष,
अनुसूचित जाति जन जाति उत्थान महासंघ (भारत),
अयोध्या बस्ती हरिजन कॉलोनी,
वार्ड नं. 10, तहसील-कन्नोद,
जिला-देवास, मध्य प्रदेश-455332